



क्रमांक 13 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019

बिलासपुर दिनांक : 20/02/2019

॥ शुद्धि पत्र ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 09/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019 बिलासपुर, दिनांक 11.02.2019 के द्वारा विद्यापरिषद् में विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य नामित किये जाने की सूचना प्रसारित की गई है।

उक्त अधिसूचना में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13(1)(iii) (संशोधित) “अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता” प्रावधान के अंतर्गत प्रो० बी.एन. तिवारी, आचार्य, अधिष्ठाता, अध्ययनशाला-जीव विज्ञान के स्थान पर टंकण त्रुटिवश अधिष्ठाता, अध्ययनशाला-समाज विज्ञान टंकित हो गया है।

अतः इस टंकण त्रुटि को सुधार करते हुए इसे निम्नानुसार पढ़ा जाय : -

1. 13(1)(iii) अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता

- 1) जीव विज्ञान - डॉ० रेणु भट्ट, सह-आचार्य, बायोटेक्नालॉजी के स्थान पर
- प्रो० बी.एन. तिवारी, आचार्य-बायोटेक्नालॉजी

उपरोक्त त्रुटि सुधार के अतिरिक्त पूर्व प्रसारित शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक : 20/02/2019

पृ० क्रमांक 14 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019
प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. माननीय कुलपति महोदया के सचिव को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)